

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३/२१६५

दो-१४-८५/८६ भाग-चार

जबलपुर, दिनांक १५/०३/२०१९
०५

कुमारी सारिका भीमराव झोड़ापे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का विवाह श्री नरेन्द्र माटे से संपन्न हो जाने के फलस्वरूप उनका नाम कुमारी सारिका भीमराव झोड़ापे पिता स्व. श्री भीमराव करुती झोड़ापे के स्थान पर “श्रीमती सारिका नरेन्द्र माटे पत्नि श्री नरेन्द्र माटे” में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः कुमारी सारिका भीमराव झोड़ापे, सहायक ग्रेड-तीन के समस्त शासकीय अभिलेख में कुमारी सारिका भीमराव झोड़ापे पिता स्व. श्री भीमराव करुती झोड़ापे के स्थान पर “श्रीमती सारिका नरेन्द्र माटे पत्नि श्री नरेन्द्र माटे” अंकित किया जावे। उनका युनिक आई.डी.नं. 170019422 है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



१०/५/१९
(राजेन्द्र कुमार वाणी)

पृष्ठांकन क्रमांक ३/२१६६ /
दो-१४-८५/८६ भाग-चार

रजिस्ट्रार जनरल
जबलपुर, दिनांक १५/०३/२०१९
०५

प्रतिलिपि :-

- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (टी.एम.अनुभाग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर,
- रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 के एम्प्लाई डाटा बेस में प्रविष्टि हेतु,
- वि.क.अधि. सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रविष्टि संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल के नवीन आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन साप्टवेयर में कराने हेतु,
- जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- डिप्टी रजिस्ट्रार....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- असि. रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- सहायक स्थापना/अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/पास बुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- कुमारी सारिका भीमराव झोड़ापे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


१०.५.१९
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
८८

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश//

क्रमांक ३/२१६१ /

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

श्री शहजाद खान, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदस्थापना रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कार्यालय से कैशियर न्यायिक अनुभाग में की जाती है। वे श्रीमती अनुराधा कोमेरवार, अनुभाग अधिकारी के दिशा निर्देश में कैशियर न्यायिक का कार्य संपादित करेंगे।

11.४.१९
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
fms

पृष्ठांकन क्रमांक ३/२१६८ /
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन / न्यायिक १ एवं २, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वार्इन्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. अनुभाग अधिकारी न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. श्रीमती अनुराधा कोमेरवार, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. उपरिथिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री शहजाद खान, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सुरेश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
fms

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
//आदेश//

क्रमांक ८/२१६९ /

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

श्रीमती रंजना नेल्सन पत्नि स्व. श्री नितिन नेल्सन द्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/2172 जबलपुर, दिनांक 20.03.2019 के पालन में सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रूपये 5200-20200+ ग्रेड पे. रु. 1900/- (7 वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर दिनांक 27.03.2019 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया है।



११.५.१९
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृ.क्र ८/२१७० /

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन/बजट/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक/सी.पी.एफ. पासबुक/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. उपरिथिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



११.५.१९
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक ३/२१७।।

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

श्री सुरेश कुमार कावडे, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "IGNOU से एम.ए (इतिहास) के द्वितीय वर्ष जनवरी सत्र-2019 में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपरिथित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



11.५.१९
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ३/२१७२।।

जबलपुर, दिनांक १५/०४/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री सुरेश कुमार कावडे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


12.४.१९
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/2173 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 15/04/2019

श्री विजय पाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य एवं श्री अरुण कुमार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मान्यता प्राप्त बेर्स्ट कम्प्यूटर कॉलेज, ग्वालियर से डीसीए कोर्स करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
फैर

पृष्ठांकन क्रमांक B/2174 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 15/04/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 1460/37/स्था. ग्वालियर, दिनांक 02.03.2019 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री विजय पाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य एवं श्री अरुण कुमार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
फैर